

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 फरवरी 2019—फाल्गुन 3, शक 1940

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश

अशोकनगर, दिनांक 5 फरवरी 2019

क्र. डूडा-2019-33.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 29 की उपधारा (1) के तारतम्य में तथा मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी 2004 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. मंजू शर्मा, कलेक्टर, जिला अशोकनगर नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट नगर परिषद् के लिये कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट वार्डों की संख्या अवधारित करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नवगठित नगर परिषद् का नाम (2)	वार्डों की संख्या (3)
1	नगर परिषद् पिपरई, जिला अशोकनगर	15 (पन्द्रह)

मंजू शर्मा, कलेक्टर.